



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जालौर में अधीक्षक CGST व दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 01 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 09 फरवरी बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालौर इकाई द्वारा आज जालौर में कार्यवाही करते हुये श्री श्योराम मीना अधीक्षक सी0जी0एस0टी0 व दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) करताराम को परिवादी से 01 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई “मेरी फर्म का सी0जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन रि-ओपन करने की एवज में अधीक्षक सी0जी0एस0टी0 जालौर श्योराम मीना द्वारा 02 लाख रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर श्री कैलाशचन्द्र बिश्नोई उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर के निर्देशन में एसीबी जालौर इकाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक व टीम के जालौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्री श्योराम मीना पुत्र कल्याण सहाय मीना निवासी ईश्वरसिंहपुरा, आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर, हाल अधीक्षक सी0जी0एस0टी0 जालौर तथा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) करताराम पुत्र रूपा निवासी पेट्रोप पम्प के पीछे जालौर को परिवादी से 01 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।